कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 111/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 22.03.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 22.03.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना – कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़

ट्रक ट्राला चोरी का खुलासा, 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

चोरी गया ट्राला, इंजन व नम्बर प्लेट बरामद

संगठित गिरोह ट्राला चोरी कर पार्ट्स बेचता था

पुलिस की कार्रवाई से अंतरजनपदीय चोरी गिरोह का पर्दाफाश

जनपद में चोरी की घटनाओं के अनावरण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कप्तानगंज पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। ट्रक ट्राला चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा चोरी गया ट्राला एवं घटना में प्रयुक्त सामान बरामद किया गया।

घटना का विवरण

दिनांक 21.03.2026 को वादी श्री ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र स्व0 मुलचन्द्र गुप्ता निवासी कंधरापुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना कप्तानगंज पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 06.03.2026 से 10.03.2026 के मध्य आजमगढ़-फैजाबाद रोड पर जेहरापिपरी क्षेत्र से उनका ट्रक ट्राला (नं0 UP53 ET 6227, 22 चक्का) चोरी हो गया है।

उक्त सूचना के आधार पर थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 82/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 317(2), 318(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई तथा अभियुक्तों की पहचान की गई।

गिरफ्तारी व बरामदगी का विवरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के पर्यवेक्षण में थाना कप्तानगंज पुलिस टीम द्वारा दिनांक 22.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर जमुआई बाजार (थाना सरायख्वाजा, जनपद जौनपुर) के पास मुर्गी फार्म के निकट से 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के समय अभियुक्तों को अपराध से अवगत कराते हुए समय करीब 03:54 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. मनोज कुमार विश्वकर्मा पुत्र रामप्रताप विश्वकर्मा, निवासी बनगांव थाना निजामाबाद, उम्र 50 वर्ष
2. आर्यन विश्वकर्मा पुत्र मनोज कुमार विश्वकर्मा, निवासी बनगांव थाना निजामाबाद, उम्र 20 वर्ष
3. मो0 आमिर पुत्र मो0 जमील, निवासी रसूलपुर तुंगी थाना बरदह, उम्र 20 वर्ष
4. आसिफ पुत्र शहरुद्दीन, निवासी रसूलपुर तुंगी थाना बरदह, उम्र 22 वर्ष

पूछताछ का विवरण

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा अपने जुर्म को स्वीकार किया गया तथा बताया गया कि वे संगठित रूप से ट्रक ट्राला चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अभियुक्तगण ने यह भी बताया कि वे चोरी किए गए ट्रालों के पार्ट्स अलग-अलग कर बेचने का कार्य करते थे।

बरामदगी

एक अदद ट्रक का ट्राला (12 चक्का) चोरी का

घटना में प्रयुक्त एक अदद ट्रक ट्राला का इंजन

एक अदद ट्रक का ट्राला, जिसमें चोरी गए ट्राला के दो पहिए लगे हुए

एक अदद चोरी गए ट्राला का वास्तविक नम्बर प्लेट – UP53 ET 6227

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 82/2026 धारा 303(2), 317(2), 318(2) बीएनएस थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 82/2026 धारा 303(2), 317(2), 318(2) बीएनएस थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थानाध्यक्ष जयप्रकाश, वरिष्ठ उ0नि0 विजय सिंह गौड़, उ0नि0 अमन तिवारी, का0 उदयभान गुप्ता, का0 विनोद यादव, का0 बृजेश कुमार गोंड, का0 सुधांशु सिंह, का0 विपिन कुमार पाण्डेय, (थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़)

थाना – जहनागंज

वारंटियों पर शिकंजा: जहानागंज पुलिस ने 13 अभियुक्त दबोचे

13 वारंटियों पर पुलिस का शिकंजा, जहानागंज में बड़ी कार्रवाई

मारपीट, गाली-गलौज व धमकी के मामलों में सभी आरोपी गिरफ्तार

अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर पुलिस ने दबोचे वारंटी

अपराधियों के विरुद्ध अभियान जारी, पुलिस की सख्त कार्रवाई

आजमगढ़। वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत जहानागंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में की गई।

पुलिस टीम ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर विभिन्न मुकदमों में वांछित अभियुक्तों को पकड़ा। सभी के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, धमकी व अन्य धाराओं में वारंट जारी थे। गिरफ्तार अभियुक्तों में लालजी सरोज, शारदा देवी, सावित्री देवी, कुमार उर्फ राजकुमार, विन्ध्याचल मौर्य, सरभू, विपिन राय, रामअवध, शोभनाथ, सत्यदेव, वेदप्रकाश पांडेय, प्रेमप्रकाश पांडेय और राजाराम शामिल हैं।

थाना – सरायमीर, जनपद आजमगढ़
फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बैनामा कराने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
सरायमीर पुलिस की कार्रवाई, धोखाधड़ी प्रकरण में वांछित आरोपी दबोचा गया
कूटरचना कर भूमि हड़पने वाले गिरोह पर पुलिस का शिकंजा
रोडवेज के पास से अभियुक्त गिरफ्तार, मुकदमे में चल रहा था फरार

जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सरायमीर पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर छलपूर्वक भूमि बैनामा कराने के प्रकरण में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

वादी द्वारा थाना सरायमीर पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया था कि अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक साजिश के तहत ग्राम काटनपट्टी स्थित भूमि को फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ीपूर्वक अपने नाम बैनामा करा लिया गया।

इस संबंध में थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 474/2025 धारा 3(5), 61(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें अभियुक्त नूर आजम पुत्र अबरार फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 22.03.2026 को उ0नि0 राजकुमार यादव मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कस्बा सरायमीर स्थित रोडवेज के पास से अभियुक्त नूर आजम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त को मुकदमे के संबंध में अवगत कराते हुए नियमानुसार हिरासत में लिया गया।

अभियुक्त का विवरण

नूर आजम पुत्र अबरार, निवासी – राजापुर सिकरौर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 474/2025 धारा 3(5), 61(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ0नि0 राजकुमार यादव

हे0का0 अजय पाण्डेय, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

थाना – कोतवाली, जनपद आजमगढ़

मिशन शक्ति 5.0 के तहत वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई

बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में आरोपी दबोचा गया

रोडवेज बस स्टैंड से 18 वर्षीय अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार

महिला सुरक्षा अभियान के तहत सक्रिय कार्रवाई, अभियुक्त भेजा गया न्यायालय

महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से चलाए जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 01 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

वादी द्वारा थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 20.03.2026 को समय लगभग 14:22 बजे अभियुक्त अंशू गुप्ता पुत्र स्व0 जितेन्द्र गुप्ता निवासी ग्राम नामदारपुर, थाना कंधरापुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की बहन को बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया।

उक्त प्रकरण के संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 117/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण

दिनांक 22.03.2026 को म0उ0नि0 शशि सिंह मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त को रोडवेज बस स्टैंड, थाना कोतवाली क्षेत्र से समय लगभग 11:00 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को नियमानुसार हिरासत पुलिस में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण

अंशू गुप्ता पुत्र स्व0 जितेन्द्र गुप्ता निवासी – ग्राम नामदारपुर, थाना कंधरापुर, जनपद आजमगढ़ उम्र – लगभग 18 वर्ष

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 117/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

म0उ0नि0 शशि सिंह
हे0का0 धर्मेन्द्र चौधरी
(थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़)

थाना- बरदह

साइबर ठगी के दो मामलों में पुलिस की सक्रियता से 59,820 रुपये वापस

एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत के बाद तुरंत खातों में रकम कराई गई होल्ड

न्यायालय के फंड रिलीज आदेश पर पीड़ितों के खातों में वापस पहुंची राशि

थाना बरदह साइबर हेल्प डेस्क की त्वरित कार्रवाई से पीड़ितों को मिली राहत

आजमगढ़। थाना बरदह क्षेत्र में साइबर ठगी के दो अलग-अलग मामलों में पुलिस की तत्परता से पीड़ितों को बड़ी राहत मिली है। साइबर हेल्प डेस्क की सक्रिय कार्रवाई के चलते कुल 59,820 रुपये की ठगी गई रकम वापस कराई गई।

पहला मामला 22 दिसंबर 2025 का है, जब तिरहुतीपुर सोहौली निवासी श्याम कन्हैया के साथ फोन-पे के माध्यम से 37,600 रुपये की साइबर ठगी हो गई थी। पीड़ित द्वारा अगले ही दिन एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित के बैंक खाते में पूरी राशि होल्ड कराई और न्यायालय से फंड रिलीज आदेश प्राप्त होने के बाद संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी के माध्यम से पीड़ित के खाते में 37,600 रुपये वापस करा दिए।

दूसरी घटना 8 दिसंबर 2025 की है, जिसमें नरवे निवासी अनंत कुमार सिंह के बैंक खाते से 25,000 रुपये की अवैध निकासी कर ली गई थी। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने 22,220 रुपये की राशि को अभियुक्त के खाते में होल्ड कराया। आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए न्यायालय के आदेश पर उक्त राशि भी पीड़ित के खाते में वापस कर दी गई।

दोनों मामलों में थाना बरदह की साइबर हेल्प डेस्क टीम की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई से पीड़ितों की कुल 59,820 रुपये की रकम सुरक्षित वापस कराई जा सकी, जिससे पुलिस की सक्रियता और साइबर अपराधों के प्रति संवेदनशीलता का उदाहरण सामने आया है।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः- थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह, उ0नि0 मनीष सिंह,आ0 विवेक गिरी, म0आ0 मनीषा यादव थाना बरदह जनपद आजमगढ़